रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 589] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 7, 2016/फाल्गुन 17, 1937
No. 589] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 7, 2016/ PHALGUNA 17 , 1937

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2016

का.आ. 681(अ).—केंद्रीय सरकार, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 2 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपर जिला मजिस्ट्रेटों को, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन उन पर प्रदत्त शक्तियों का, उनकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर धारा 5 और धारा 6 की बाबत के सिवाय, प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में अधिसूचित करती है ।

[फा. सं. 9/10/2012-बीपीएंडएल (भाग-2)]

आर. जया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2016

S.O. 681(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 2 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), the Central Government hereby notifies Additional District Magistrates as authorised officers to exercise the powers conferred upon them under the provisions of the said Act, except in respect of sections 5 and 6 within the local limits of their jurisdiction.

[No. 9/10/2012-BP&L (Part-2)]

R. JAYA, Jt. Secy.

1155 GI/2016

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.